न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2020/00102

(1). भैरूलाल पिता भॅवरिया जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(2). बरधी लाल पिता भॅवरिया जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(3). प्रहलाद पिता भॅवरिया जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(4). श्याजी पिता भॅवरिया जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।

–अपीलान्टगण

बनाम

(1). जयकुमार पिता चुन्नीलाल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(2). महावीर पिता चुन्नीलाल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(3). शांती बेवा चुन्नीलाल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)। नाम तर्क किया गया।
(4). मोती पिता माधो जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(5). कालूलाल पिता भॅवरिया जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(6). सुवालाल पिता भॅवरिया जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(7). घीसी पुत्री भॅवरिया पत्नी सॉवल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)। मृतक के बजाय–
7/1. सूरजा पुत्री सॉवल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
7/2. पांची पुत्री सॉवल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
7/3. पुष्पा पुत्री सॉवल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।

7/4. इन्द्रा पुत्री सोंवल जाति माली निवासी दुगारी तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(8). कमला पुत्री भैंवरिया पत्नी अम्बालाल जाति माली निवासी दुगारी हाल निवासी छत्रपुरा–इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी(राज0)।
(9). रामप्यारी पुत्री भैंवरिया पत्नी हुक्मचंद जाति माली निवासी दुगारी हाल निवासी अलौद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी(राज0)।
(10). पाना पुत्री भैंवरिया पत्नी सुवालाल जाति माली निवासी दुगारी हाल निवासी छुगारी हाल निवासी सादेड़ा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)।
(11). गोमदी पुत्री भैंवरिया पत्नी ग्यारसी लाल जाति माली निवासी दुगारी हाल निवासी छुगारी हाल निवासी ओलासपुरा तहसील हिण्डौली जिला बून्दी(राज0)।
(12). तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अतंर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां
प्रकरण संख्या 58/2017 निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.03.2020

उपस्थित वक्त बहस–(1). महेश योगी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). राजकुमार गौतम– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,4
(3). पैरोकार सरकार –रेस्पोडेन्ट संख्या 12

निर्णय **दिनांक 30.12.2022**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि मौजा दुगारी तहसील नैनवां मे जमाबंदी सम्वत् 2072 से सम्वत् 2075 के अनुसार खाता संख्या 219 मे दर्ज आराजी संख्या 3089 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 3094 गे.मु. डोहरी(चाह) रकबा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 3095 रकबा 6 बिस्वा, आराजी सख्या 3096 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 3917 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 3918 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात व चाह के प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 अभिलिखित खातेदार होकर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर आने जाने हेतु कदीमी रास्ता सरकारी रास्ते की आराजी

संख्या 3085 मे होकर आराजी संख्या 3086 मे लाल लाईनों से दर्शाया गया रास्ता जो 16 फुट चौड़ा है। उक्त रास्ते से होकर पश्चिम से पूरब खाली खसरा संख्या 3099 के पास होकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की कृषि आराजी संख्या 3096 तक स्थित है और वहां से प्रार्थीगण स्वयं की उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजी संख्या 3094, 3095 एवं 3089 मे पहुँचते है। प्रार्थीगण रास्ता खसरा संख्या 3085 मे उत्तर से दक्षिण आकर खसरा संख्या 3086 मे स्थित रास्ते मे आते है। उक्त रास्ता 16 फीट चौड़ा है। उक्त आत्यांतिक आवश्यकता के रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने हेतू कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज करवाना चाहते है । उक्त रास्ते के प्रयोजनार्थ आराजी सख्या 3086 मे से उपयोग मे आने वाली कृषि भूमि की एवज मे क्षतिपूर्ति राशी का भूगतान प्रार्थीगण आराजी सख्या 3086 के खातेदार अप्रार्थीगण सख्या 1 से 11 को अदा करने को तैयार है।

2. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 18.03.2020 को प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजीयात मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 3086 मे से कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

3. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 18.03. 2020 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे मियाद बाहर प्रस्तुत की है।

4. अधिवक्ता अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। न्यायहित मे अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

5. अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पाडेन्टगण संख्या 1, 2, 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के फोत हो जाने व उसके वारिसान पूर्व से ही पक्षकार होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का नाम तर्क किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2022 को प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। न्यायाहित मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत नाम तर्क प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2022 स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का नाम तर्क किया जाता है। अन्य रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अधिवक्ता अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलांटगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की आराजीयात पर आने जाने हेतु रास्ता ग्राम दुगारी से आने वाले रास्ते खसरा सख्या 3144 व खसरा संख्या 3088 मे होकर वर्षो से चला आ रहा है उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने उक्त रास्ते को हांक जोतकर अवरूद्ध कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की आराजीयात पर आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता पूर्व से ही विद्यमान होने के बावजूद अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की आराजी मे से रास्ता कायम किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो धारा 251(क) के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि दिनांक 16.01.2019 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया जिसकी पालना मे तहसीलदार नैनवा द्वारा विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांटगण की आपत्ति व ऐतराज को सुने बिना ही उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांटगण की आराजीयात मे से रास्ता कायम किये जाने

का निर्णय व आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलांटगण की बहस सुने बिना ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका मे उभयपक्ष की बहस सुनी जाना गलत रूप से मनमुताबिक अंकित किया है। अन्त मे अपील अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 18.03.2020 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलांटगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार नैनवां से विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट तलब की गई जिस पर अप्रार्थीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से विवादित रास्ते की मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत तैयार की गई है। उभय पक्षकारान के अभिवचनों पर सुनवाई करते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की आराजीयात मे आने जाने हेतु एकमात्र निकटतम सुविधाजनक व आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता अप्रार्थीगण की आराजीयात मे विद्यमान होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की आराजीयात मे से रास्ता कायम किये जाने का विधिवत निर्णय व आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 4 की ओर से रास्ते के प्रयोजनार्थ उपयोग मे आई भूमि की एवज मे क्षतिपूर्ति राशि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार जमा की जा चुकी है। अन्त मे अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 18.03.2020 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 12.06.2019 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थीगण को तहसीलदार नैनवां से प्राप्त विवादित रास्ते की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त

अवसर प्रदान किये जाने जाने के पश्चात भी अपीलांटगण अप्रार्थीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) मे संक्षिप्त जांच का प्रावधान है । विवादित रास्ते की रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की जाकर तहसीलदार नैनवां को प्रेषित की गई । उक्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 मे स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है और न ही राजस्व रेकॉर्ड मे ऐसा कोई रास्ता दर्ज है। उक्त रिपोर्ट को अंकित करते हुए दिनांक 01.04.2019 को तहसीलदार नैनवां ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.03.2020 से स्पष्ट है कि अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित हुए तथा बहस उभयपक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान को सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नही है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 18.03.2020 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा(राज0)